

जिला कलक्टर, सीकर

17/2019 भंवरलाल VLS शं० सं० 30 सं० वि० चक

25-6-19

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री हरीश कुमार शर्मा उपस्थित।

मह प्रभुपत्र मुं० उपखण्ड अधिकारी दोतारामजद के न्यायालय में विचारधीन प्रकरण संख्या 119/17 इनवान भंवरलाल खनाम शं० सं० 30 सं० वि० चक (गोपीनाथपुरा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। अदीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से रिप्ली प्राप्त कर दिनांक 22-7-19 को पेश हो।

जिला कलक्टर, सीकर

22-7-19

पत्रावली पेश हुई। वकील श्री उप०, अप्रार्थी 00। वी और ए वकील श्री मागीध भानु जावड़ा ने वकालतनामा पेश किया। बख्तजाट रिप्ली: ए 21-10-19 को पेश हुई।

21-10-19

पत्रावली पेश हुई। वकील उममपम उप० वकील प्राथी ने प्रकरण को छोड़ नही चलावे हेतु निवेदन किया। प्रापत्र मुं० किमी Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सब शुभा लोक जम्मा ए काम हो।

Not Press.

(Handwritten Signature)
21/10/2019
(पत्र विश्व सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)